

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मिशल आई०डी० नम्बर 2025/515

**उनवान**

नहारसिंह पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

राजस्थान


—वादिगण-02

**बनाम**

अंगूरीदेवी पत्नि सुगरसिंह जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला

करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण-15

दिनांक	फर्द अहकाम
10.9.25	<p>आज यह वाद पत्र वादीगण की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 08.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       (हेमराज गुर्जर)                      उप खण्ड अधिकारी                      हिण्डौन जिला करौली                 </p> <p>                     8/10/25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपर                      प्रतिवादीगण के रजि० समन ललवाम                      पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दि०                      2/2/26 को पेश हो।                 </p> <p>                     13/1/26 आज यह पत्रावली वकील वादीगण के अर्जत पत्र पर                      ललव की गई। पत्रावली में अर्जत कराया है पत्रकारान के मध्य                      राजीनामा हो गए है अर्जत के आगे चलाना नहीं चाहे                      है। Not Proceed में खारिज कराना चाहे है।                 </p> <p>                     अर्जत मुंजः 225/2025 उनवानी नहारसिंह बनाम                      अंगूरी देवी वर्ज० दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा                      के Not Proceed में खारिज किया जाता है। पत्रावली फिल                      सुमाट होकर वाद वकील नम्बर से कम की जाकर दाविल                      दफ्तार हो। अर्जत खुले न्यायालय में सुनाया गया।                 </p> <p style="text-align: right;">                     उपखण्ड अधिकारी                      हिण्डौन सिटी (करौली)                 </p>